ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 250-252

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

भारत में सामाजिक स्तरीकरण

विनोद कुमार मिश्र

सह–आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, ज0रा0वि0 विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ0प्र0), भारत

Received- 16.07.2020, Revised- 20.07.2020, Accepted - 23.07.2020 E-mail: shakil1782@gmail.com

सारांश : ***कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ स्तरीकरण किसी न किसी रूप में न हो। प्रत्येक समाज में अपनी–अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप भिन्न–भिन्न रूपों में स्तरीकरण दृष्टिगोचर होता है। चाहे वह प्राचीन समाज व्यवस्था हो, चाहे माध्ययुगीन, चाहे वर्तमान, परन्तु देश और काल की परिधि में उसके स्वरूप में अन्तर होता रहा है। प्राचीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप के आधार पर वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था का स्वरूप समझने में सहायता मिलेगी। इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रलेख में प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में सामाजिक स्तरीकरण के विविध आयामों को ढूँढने को प्रयास किया गया है।***

कुंजीभूत शब्द– स्तरीकरण,दृष्टिगोचर, स्तरीकरण, स्वरूप, आधार, वर्तमान, भारतीय समाज, व्यवस्था, आयामों

भारतीय समाज के प्राचीन व्यवस्था के स्तरीकरण के अवलोकन हेतु हमें भारत के प्राचीन साहित्य की दिशा में दृष्टिगत करना पड़ेगा। भारत का समाज–दर्शन जितना मनुस्मृति में उपलब्ध होता है और कहीं नहीं। अतः यहाँ हम भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के निरूपण हेतु मनुस्मृति की स्तरीकृत समाज व्यवस्था की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे।

स्तरीकरण समाज व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। प्रायः विश्व के सभी समाजों में स्तरीकरण पाया जाता है। मनु ने अपनी समाज व्यवस्था के प्रत्येक पक्ष में स्तरीकरण की प्रक्रिया को व्यापक महत्व दिया है। संस्कारों का मनुस्मृति तथा अन्यान्य भारतीय धर्म ग्रन्थों में बड़ा महत्व है।

मनु ने समाज व्यवस्था के स्तरीकरण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए संस्कारों में भी स्तरीकरण किया है। यह बात सत्य है कि विभिन्न व्यक्तियों के जन्मजात गुणों में अन्तर पाया जाता है। इस परिस्थिति में विभेदीकरण तथा स्तरीकरण का न पाया जाना एक आश्चर्यजनक बात होगी। व्यक्तियों की क्षमताओं, गुणों में अन्तर की असमानताएँ स्तरीकरण के रूप में स्पष्ट होती है।

वास्तविक सामाजिक समानता एक ऐसी कपोल कल्पित कथा है, जिसको मानव इतिहास में कभी भी अनुभव नहीं किया गया है। सामाजिक समानता का कोई भी प्रयास चाहे हम उसे साम्यवाद कहे अथवा समाजवाद अथवा किसी सामाजिक पुनर्निर्माण की संज्ञा दें, असमानताओं पर आधारित स्तरीकरण को समाप्त नहीं किया जा सकता। कुछ अवस्थाओं में जहाँ असमानताएँ जन्मजात विभिन्नताओं के कारण नहीं, अपितु पर्यावरण की भिन्नताओं के कारण हो, सामाजिक पुनर्निर्माण के प्रयास इनमें वृद्धि अथवा कमी कर सकते हैं।

प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था स्तरीकृत है और भारतीय समाज के विविध कर्मकाण्डों में इसे देखा जा सकता है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है–

चातुर्वण्य व्यवस्था– वर्ण स्तरीकरण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सबसे निम्न पर। कार्यों में भी वर्ण के आधार उच्च एवं निम्न वर्ण के अनुसार, स्तरीकरण है। ब्राह्मण वेदाभ्यास, क्षत्रिय–प्रजा की रक्षा और वैश्य– व्यापार, पशुपालन इनमें क्रमशः उच्च से निम्न प्रतिष्ठा का स्तरीकरण दृष्टिगोचर होता है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से उत्तम, अध्ययन, अध्यापन, यजन–याजन, दान और प्रतिग्रह (ग्रहण करना) ये छः कार्य ब्राह्मणों के माने गये हैं।[1] क्षत्रिय अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह से मुक्त हैं।[2] क्षत्रियों को हथियार धारण करना और वैश्यों को कृषि, पशुपालन और व्यापार, जीविका हेतु करना चाहिए। इनका धर्म–दान देना, अध्ययन और यज्ञ करना है।[3] यह भी प्रावधान है कि अपने वर्ण के लिए निर्दिश्ट विधि से आजीविका न उपलब्ध होने पर अपने से निम्न वर्ण की आजीविका अर्जित की जा सकती है। परन्तु यह विचलन एक सीमा तक ही क्षम्य है। उक्त सीमा का उल्लंघन करने पर उक्त वर्णों के लोग सामाजिक प्रतिश्ठा से च्युत हो जाते हैं।

मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्ण सामाजिक विभाजन की वह व्यवस्था है जिसका आधार जन्म उतना नहीं जितना कि कर्म है। कर्म का विभाजन रंग के आधार पर नहीं हो सकता। इस विभाजन का आधार तो गुण, प्राकृतिक, स्वभाव और प्रवृत्ति हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था व संगठन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक था कि सामाजिक कार्यों का विभाजन किया जाए जिससे कि

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-1, Issues-16 YEAR- June. -2020

एक के कार्यों में दूसरा अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। इसी उद्देश्य से कर्मों और गुणों के आधार पर समाज के सदस्यों में विभिन्न समूहों में स्तरीकरण है।

वर्ण के वर्तमान जातीय स्वरूप के विषय में रिजले के अनुसार– जाति परिवारों का एक समूह है, जिसका सामान्य जातीय नाम होता है।[4] इसका उद्भव किसी पौराणिक या दैवीय पूर्वजों से होता है। इसकी अपनी सामान्य वृत्ति होती है। उक्त विचारधारा में रिजले ने परिवारों को जातीय समूहों में बाँटकर उनका वर्गीकरण किया है। चौहान के अनुसार, जाति व्यवस्था का 'मूल' पद क्रम है। यदि कोई उच्च जाति अपने श्रेष्ठ स्थान तक पहुँचने की अनुमति किसी निम्न जाति को प्रदान करती है तो वह अपने ही सामाजिक सम्मान को घटाती है।[5] कपाड़िया ने जातीय व्यवस्था में परिवर्तन पाया है। उन परिवर्तनों के आधार पर जाति को संक्रमणकालीन स्थिति में बताते हैं।[6] चन्द्रशेखर के अनुसार, उच्च जाति के लोग उच्च शिकार तथा प्रशिक्षित कुशलता प्राप्त करके विविध प्रकार के उच्च वृत्ति के चयन का सुअवसर प्राप्त करते हैं जबकि अशिक्षित तथा अकुशल निम्न जाति के लोग उच्च वृत्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं।[7] यद्यपि परवर्ती युगों में जातिप्रथा जटिल रूप में थी। परन्तु वैदिक काल में समाज केवल चार वर्णों में विभक्त था। स्मृतियों में प्रतिपादित जाति–प्रथा सिद्धान्त के अनुसार संहिताओं के संकलन कर्ताओं का यह प्रयास रहा है कि अनादि अनन्त वेदों में प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त के लाभ समाज की वास्तविक स्थिति का सामंजस्य स्थापित किया जाय।[8] वैदिक साहित्य में जिन व्यवस्थाओं तथा शिल्पों का उल्लेख किया गया है। वे ही अन्ततः जातियों तथा उपजातियों के रूप में विकसित हो गये। किन्तु वैदिक काल में उक्त सिद्धान्त इतना कठोर नहीं था। उस समय सामाजिक परिस्थितियां भी आज की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील थी। इन्हीं प्रसंग में मनु द्वारा निर्दिष्ट कुछ स्तरीकरण का विवेचन उल्लेखनीय है–

प्राणी स्तरीकरण– नाभि से ऊपर पुरूष पवित्र माना गया है। उनमें भी मुख को सभी अंगों से पवित्र माना गया है।[9] मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा ने सम्पूर्ण विष्व के रक्षार्थ मुख, बाहु, जंघा से उत्पन्न होने वाले जीवों को पृथक–पृथक कर्मों की कल्पना की है। जिनमें ब्राह्मणों को ब्रह्मज्ञानी श्रेश्ठ बताया गया।

नामकरण संस्कार में भी ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बल याचक, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का दास युक्त नाम रचना चाहिए।[10]

उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण के लिए सबसे कम निर्धारित की गयी है। यथा–तेजाभिलाशी ब्राह्मण का गर्म से पाँच वर्ष में, बलाभिलाशी क्षत्रिय का छठवें वर्श और धनाभिलाशी वैष्य का आठवें वर्ष में उपनयन करना चाहिए।[11]

जनेऊ संस्कार ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए चिकनी मूंज की, क्षत्रिय ब्रह्मचारी की मुर्वा (मरोड़ कली लता) की वैश्य ब्रह्मचारी की सन की मेखला का विधान किया है।[12] इसी प्रकार ब्राह्मण गृहस्थ का सूत का जनेऊ, क्षत्रिय का सन के सूत्र का और वैश्य का भेड़ के सूत्र का यज्ञोपवीत होना चाहिए।[13] दण्ड धारण करने में भी ब्राह्मण का दण्ड बेल या पलास, क्षत्रिय का पड़ (वर) या खैर का और वैश्य का गुलर का दण्ड होना चाहिए।[14] दण्ड की लम्बाई ब्राह्मण के लिए पैर से शिक्षा तक, क्षत्रिय का कपाल तक, वैश्य का नाक तक लम्बा होना चाहिए।[15] भिक्षा माँगते समय ब्राह्मण ब्रह्मचारी और क्षत्रिय, वैश्य ब्रह्मचारी अलग–अलग शब्दों का प्रयोग करे।[16]

भिक्षा स्तरीकरण– ब्राह्मण भवति भिक्षा में देहि।
क्षत्रिय भिक्षां भवति में देहि।
वैश्य भिक्षां देहि में भवति।

विवाह स्तरीकरण– विवाह में भी शूद्रों को केवल अपने ही वर्ण में विवाह की अनुमति दी गयी है। वैश्य को वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा ब्राह्मण को चारो वर्णों की कन्या से विवाह का अधिकार है।[17] परन्तु अपने वर्ण की स्त्री से विवाह के श्रेष्ठ बताया गया है। अन्य वर्ण की स्त्रियों से विवाह करने पर उत्पन्न सन्तति की जाति बदल जाती है जो स्तरीकृत उच्च से निम्न स्तर में होती है। उनसे उत्पन्न बच्चों को सम्पत्ति के विभाजन में भी अलग–अलग प्रकार का स्तरीकरण किया गया है–

सम्पत्ति विभाजन में स्तरीकरण– एक ही पिता की स्वजातीय कन्या के पुत्र को सम्पत्ति में अधिक तथा अन्य वर्ण की सन्तति को क्रमशः न्यून सम्पत्ति देने की व्यवस्था है।[18] सम्पत्ति विभाजन में बड़े भाई को अधिक धन देने की व्यवस्था। शूद्र स्त्री से उत्पन्न बच्चे को सम्पत्ति के दसवें भाग से अधिक किसी प्रकार नहीं देने की बात कही गयी है।

दण्ड स्तरीकरण– दण्ड व्यवस्था में एक ही प्रकार का अपराध करने वाले विविध वर्ण के लिए पृथक दण्ड विधान है। यथा– यदि ब्राह्मण क्षत्रिय को कठोर वाक्य कहे तो पचास पण, वैश्य को कहे तो पच्चीस पण, शूद्र को कहे तो बारह पण दण्ड लगाना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण को चोर, चाण्डाल, कटु वचन कहने वाले क्षत्रिय को एक सौ पण, वैश्य को डेढ़ सौ पण, शूद्र को इसी अपराध के लिए मृत्यु दण्ड तक देने की व्यवस्था है।[19]

इसी प्रकार अपराध करने वाले सवर्णों के लिए

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-1, Issues-16 YEAR- June. -2020

दण्ड व्यवस्था क्रमशः कम जो जाता है। यदि वैश्य और क्षत्रिय अरक्षित ब्राह्मणी के साथ गमन करे तो वैश्य को पाँच सौ पण और क्षत्रिय को सौ पण दण्ड देना चाहिए।[20] ब्राह्मण का बाल मुड़ा देना चाहिए। परन्तु अन्य वर्णों को प्राणान्तक दण्ड देना चाहिए।[21]

निष्कर्ष– इस प्रकार संक्षेप में हम यह पाते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था स्तरीकृत है। जिसे बनाये रखने के लिए विविध प्रकार के कर्मकाण्ड, स्वर्ग–नर्क, पाप–पुण्य, यशः–अपयशः आदि की बातें की गयी है और विविध रूप में इस व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास किया गया है। सामाजिक स्तरीकरण सभी सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचना का सामान्यीकृत है, अर्थात् प्रत्येक स्थान पर जहाँ लोग एक साथ रहते हैं। सामाजिक संगठन बनाते हैं। जिसमें कुछ लोग विशेष सुविधाजनक स्थिति बना लेते हैं। परिणामस्वरूप एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते है। इस प्रकार के वर्ण की उत्पत्ति के बहुत से कारण हो सकते हैं। धार्मिक विश्वास, चमत्कारिक मेधा, शारीरिक शक्ति आदि चाहे जो भी रहा हो आज्ञापालन और आज्ञानुपालक प्रत्येक समाज में पाया जाता है। एक वर्ग वह होता है जिसे अधिकारी का स्थान प्राप्त होतो है और दूसरा वह होता है जो उनके आदेशों का पालन करता है। वस्तुतः प्रभुत्व की स्थिति शासक वर्ग द्वारा कुछ विशेष सुविधायें उपलब्ध करने की ओर ले जाती है। राजनीतिक शक्ति, प्रमुख व्यवसाय तथा शिक्षा पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात् एक वर्ग अधिकारी की स्थिति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तब वह भी सम्भव साधनों द्वारा उस स्थिति को निरन्तर बनाये रखने का प्रयास करता है। यही मानव प्रवृत्ति स्तरीकरण को बनाये रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन काल से ही भारतीय समाज व्यवस्था सभी क्षेत्रों में स्तरीकरण पर आधारित रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मनुस्मृति, 10–75, 78 ।
2. वही, 10–79 ।
3. वही, 10–85 ।
4. Resley, H.H. The people of India, P.67.
5. Chauhan, B.R. The nature of cost and sub cast in India, sociological Bulletin, volXV, No.-1 march 1966.
6. Kapadia, KM. Caste in Transition, sociologi cal Bulletin, vol,XL, No. 1-2 march sept 1962
7. Chandrashekhar, K. Mobilty Patterns within the caste, sociological Bulletin, Vol XL, no- 1-2, march 1962.
8. काणे, पी0वी0, हिस्ट्री ऑफ धर्मषाला, खण्ड 2,पृ0सं0 40–42 ।
9. मनुस्मृति, अध्याय–1, श्लोक 92 ।
10. वही, 2–32 ।
11. वही, 2–37 ।
12. वही 2–42 ।
13. वही, 2–44 ।
14. मनुस्मृति 2–45 ।
15. वही 2–46 ।
16. वही 2–49 ।
17. वही 2–13 ।
18. वही 9–146 ।
19. वही 8–267 ।
20. मनुस्मृति, 8–376 ।
21. मनुस्मृति 8–379 ।

*****